कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1253/2021 रणजीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी रावमावि, दुलरासर, ब्लॉक–सरदारशहर, जिला–चूरू में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर कार्यरत है जो कि याचिकार्थी के गृह जिले श्रीगंगानगर से 300 किमी दूर है। याचिकार्थी वर्तमान में दिनांक 02.02.2020 से राउमावि खेरूवाला, ब्लॉक–सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर में कार्यव्यवस्थार्थ है, जो कि उसके घर से 100 किमी दूर है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी के 3 वर्ष 5 माह का पुत्र लगभग 3 वर्ष से बीमार है और वह बैठने बोलने में असमर्थ है एवं ना ही शरीर का संतुलन बना पाता है तथा पिछले तीन वर्ष से लगातार उसका इलाज चल रहा है, इस कारण पुत्र के इलाज के लिए याचिकार्थी का घर के नजदीक रहना आवश्यक है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर चुरू जिले से श्रीगंगानगर जिले श्रीकरणपुर ब्लॉक के रामावि 42H/रामावि 2FFA/रामावि 8V में से किसी एक में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभाग द्वारा जिलेवार एवं वर्गवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12820/2021 दिनांकः– 23/03/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, चुरू
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, श्रीगंगानगर
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
5. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि./29880/सी/2021 /02 दिनांक 12.04.2021 के क्रम में।
6. याचिकार्थी रणजीत सिंह, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, रावमावि, दुलरासर, ब्लॉक–सरदारशहर, जिला–चूरू (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय पता– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दूरभाष 0151–2522238 Email- dir.dse@rajasthan.gov.in